भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-335

उत्तर देने की तारीख-23/07/2025

समग्र शिक्षा अभियान

335 # श्री राजीब भट्टाचार्जी:
डा. दिनेश शर्मा:
श्री अमर पाल मौर्य:
श्रीमती किरण चौधरी:
श्री सुभाष बराला:
श्री केसरीदेवसिंह झाला:
श्रीमती धर्मशीला गुप्ता:
श्रीमती ममता मोहंता:
श्री लहर सिंह सिरोया:
श्री रायगा कृष्णैया:
श्रीमती माया नारोलिया:
श्रीमती दर्शना सिंह:
श्री रामेश्वर तेली:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत उन्नयित विद्यालयों और नवनिर्मित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की संख्या कितनी-कितनी है;
(ख) क्या इस योजना में स्मार्ट विद्यालय और स्मार्ट कक्षाएं जैसी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और डिजिटल पहल शामिल हैं;
(ग) यदि हाँ, तो ऐसे विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है; और
(घ) इस योजना के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर कौन-कौन से प्रमुख हस्तक्षेप प्रस्तावित हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 2018-19 से स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना, समग्र शिक्षा, का क्रियान्वयन कर रहा है। यह योजना स्कूल शिक्षा को पूर्व-प्राथमिक से बारहवीं कक्षा तक समग्र रूप से देखती है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के

कार्यान्वयन हेतु सहायता प्रदान करती है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

समग्र शिक्षा अभियान के तहत नए/उन्नत स्कूल और आवासीय स्कूलों/छात्रावासों [उन्नत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) और कार्यात्मक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी)] की राज्य/संघ राज्य वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ख) और **(ग):** समग्र शिक्षा के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के अंतर्गत स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट कक्षा स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कार्यरत आईसीटी लैब और स्मार्ट कक्षा का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ): समग्र शिक्षा के अंतर्गत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही समग्र शिक्षा योजना के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर पात्र बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म, प्रारंभिक स्तर पर मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, आदिवासी भाषा के लिए प्राइमर/पाठ्यपुस्तकों का विकास, शिक्षण सामग्री, माध्यमिक स्तर तक परिवहन/अनुरक्षण सुविधा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आयु के अनुसार विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, आयु के अनुसार आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से शिक्षा पूरी करने के लिए स्कूल न जाने वाले बच्चों (16 से 19 वर्ष) को सहायता, समग्र प्रगति कार्ड, द्विभाषी शिक्षण सामग्री और पुस्तकें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को सहायता शामिल है। इसके अलावा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यार्थी उन्मुख घटक के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन के लिए वित्तीय सहायता, सहायक उपकरण, ब्रेल किट और पुस्तकें, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और विकलांग छात्राओं को वजीफा आदि प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, इस योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन,

पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, असंतृप्त एसटी आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, आरटीई अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति, विभिन्न गुणात्मक घटक, शिक्षक शिक्षा को मजबूत करना और डीआईईटी/बीआरसी/सीआरसी को मजबूत करना, आईसीटी और डिजिटल हस्तक्षेप का प्रावधान शामिल है।

अनुलग्नक

"समग्र शिक्षा अभियान" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजीब भट्टाचार्जी एवं अन्य द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 335 के भाग (क), (ख) एवं (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नए/उन्नत विद्यालय, आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों [उन्नत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) और कार्यात्मक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी)], कार्यात्मक आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक अनुमोदित नए/उन्नत स्कूल (स्रोत: प्रबंध)	केजीबीवी को अपग्रेड किया गया (31.03.2025 तक, स्रोत: प्रबंध)	एनएससीबीएवी कार्यात्मक (छात्रावास + आवासीय विद्यालय, 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार, स्रोत: पीएबी 2025-26)	कार्यात्मक आईसीटी प्रयोगशालाएँ (2005-06 से आज की स्थिति के अनुसार, स्रोत: प्रबंध 31.05.2025 तक)	कार्यात्मक स्मार्ट क्लासरूम (2020-21 से अब तक, स्रोत: प्रबन्ध 31.05.2025 की स्थिति के अनुसार)
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	-	-	140	-
2.	आंध्र प्रदेश	1	352	18	9099	4691
3.	अरुणाचल प्रदेश	8	37	212	480	141
4.	असम	96	81	14	6903	4036
5.	बिहार	-	86	15	2855	2827
6.	चंडीगढ़ यूटी	-	-	-	107	186
7.	छत्तीसगढ	78	72	156	2341	5857
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	8	-	-	130	137
9.	दिल्ली	-	-	-	1106	1018
10.	गोवा	-	-	-	460	24
11.	गुजरात	108	115	-	5830	7078
12.	हरियाणा		30	2	3521	3226
13.	हिमाचल प्रदेश	7	9	-	2555	2248
14.	जम्मू एवं कश्मीर	66	-	-	3036	1352
15.	झारखंड	-	203	26	4734	982
16.	कर्नाटक	57	8	6	3293	437
17.	केरल	-	-	6	2409	373
18.	लद्दाख	16	-	29	171	122
19.	लक्षद्वीप	-	-	-	11	-
20.	मध्य प्रदेश	87	107	390	3738	4018
21.	महाराष्ट्र	2	-	10	10134	2257

22.	मणिपुर	60	11	25	785	512
23.	मेघालय	49	8	-	454	25
24.	मिजोरम	76	-	26	507	229
25.	नगालैंड	7	-	13	649	649
26.	ओडिशा	393	184	21	8315	6973
27.	पुदुचेरी	1	-	-	176	145
28.	पंजाब	252	18	5	3969	3567
29.	राजस्थान	1031	149	41	8807	7612
30.	सिक्किम	16	1	4	372	301
31.	तमिलनाडु	8	21	19	13351	865
32.	तेलंगाना	-	475	33	5292	3982
33.	त्रिपुरा	50	7	16	1426	886
34.	उत्तर प्रदेश	350	680	-	3987	18460
35.	उत्तराखंड	7	18	19	621	1537
36.	पश्चिम बंगाल	8	10	31	2788	-
	कुल	**2843**	**2682***	**1137**	**114552**	**86753**

*5138 कार्यात्मक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में से 2682 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उन्नयित हैं।
